पंचायत आम निर्वाचन
अनुदेश क्रमांक–04

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/पंचा.–05/पंग्राविवि/22/2019/384 अटल नगर, दिनांक 11/09/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– **त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन वर्ष 2019–20 का सम्पादन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा–3 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का परिसीमन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत्।**

–– 00 ––

आगामी दिसम्बर 2019–जनवरी 2020 में त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन कराया जाना संभावित है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि **(1) नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकाय से लगे हुए ग्रामों को नगरीय निकाय में सम्मिलित कर लिया गया हो। (2) नगरीय निकाय से ग्रामों/ग्राम पंचायत को पृथक किया गया हो (3) भौगोलिक दृष्टिकोण से सीमाओं का परिवर्तन मुख्यालय का स्थापन किये जाने पर (4) वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, किन्हीं कारणों से वर्ष 2014–15 के आम निर्वाचन के समय परिसीमन में छूटने के कारण ग्राम पंचायत का गठन नहीं होने की स्थिति में, ग्राम पंचायत का गठन किया जाना होगा।**

2- ग्राम पंचायतों (ग्राम) के परिसीमन का प्रस्ताव तैयार करते समय विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा :–

(1) ग्राम पंचायत गठन हेतु वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार माना जायेगा।

(2) प्रस्तावित ग्राम की जनसंख्या कम से कम 1000 (एक हजार) हो।

(3) पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत मुख्यालय को यथावत् रखा जाए।

(4) जहॉ नवीन ग्राम अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित हो, तो वहॉ ऐसे ग्रामों की आबादी एवं वहॉ पर उपलब्ध अधोसंरचना का ध्यान रखा जाए।

(5) दो ग्रामों को मिलाकर नवीन ग्राम पंचायत का गठन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि दोनों ग्राम आपस में लगे हों।

(6) मुख्यालय ग्राम से आश्रित ग्रामों की दूरी कम से कम हो। किसी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम में जाने के लिये अन्य ग्राम पंचायत के मुख्यालय या आश्रित ग्राम को पार करने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) ध्यान देने योग्य यह है कि ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम का पटवारी हल्का नम्बर एक ही हो, साथ ही मुख्यालय से न्यूनतम दूरी के सिद्धांत को बनाये रखना आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

(8) ग्रामों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करते समय नदी, नाले, पठार, पहाड़ आदि का भी ध्यान रखा जाये, ताकि मुख्यालय ग्राम से आश्रित ग्राम के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय में जीवन्त सम्पर्क बनाने में असुविधा/कठिनाईयाँ उत्पन्न न हो। दुर्गम/सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करते समय जनसंख्या पर युक्तियुक्त रूप से विचार किया जाये।

3- विद्‌यमान ग्राम पंचायत जो अधिसूचित हैं, उसको जनपद पंचायत स्तर के नजरी नक्शा पर, दर्शाया जाए तथा दूसरा अन्य नजरी नक्शा प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के लिये तैयार किया जाए, जिसमें मुख्यालय ग्राम सहित सम्मिलित ग्राम भी दर्शित हो।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समुचित रूप से पालन किया जाये।

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पंचा.–05/पंग्राविवि/22/2019/385 अटल नगर, दिनांक 11/09/2019
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner